न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– डॉ. सूरज सिंह नेगी
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
114 / 2023 प्रा.पत्र / 2023	30–10–2023	08.02.2024

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री नवरतन मल साहू पुत्र श्री बिरदा लाल साहू निवासी कल्याणपुरा चोराहा बावडी तह0 टोडारायसिंह जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स महेश किराणा स्टोर निवासी कल्याणपुरा चौराहा बावडी तह0 टोडारायसिंह जिला टोंक
2–मैसर्स महेश किराणा स्टोर निवासी कल्याणपुरा चोराहा बावडी तह0 टोडारायसिंह जिला टोंक

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52(सहपठित धारा 49)

उपस्थित–
1– पेरोकार सरकार।
2– अप्रार्थी के पुत्र श्री अरूण साहू उपस्थित।

:–निर्णय–: **दिनांक 08.02.2024**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 09.06.2023 को समय 10.30 पी.एम. पर मैसर्स महेश किराणा स्टोर निवासी कल्याणपुरा चोराहा बावडी तह0 टोडारायसिंह जिला टोंक पर पहूंचा। वहां पर प्रोपरायटर की हैसियत से श्री नवरतन मल साहू पुत्र श्री बिरदालाल साहू अपने प्रतिष्ठान पर गुड,तेल,घी,मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला जिसे अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु प्रतिष्ठान में अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दुकान की रेक में लगभग 60 मूल पॉली पेक 230–230 ग्राम पैक्ड अवस्था में **शुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी (लन्दन बोन–बोन ब्राण्ड)** रखा हुआ था जिसका निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. विक्रेता श्री नवरतन मल साहू पुत्र श्री बिरदालाल साहू को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता श्री नवरतन मल साहू एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। आवेदक द्वारा दुकान की रेक में 230–230 पेक में से शुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी (लन्दन बोन–बोन ब्राण्ड) जिसके बेच नम्बर एलकेके 2

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

एंव पैकिगं की दिनांक मार्च 2023 थी, को ज्यों का त्यों पैक्ड अवस्था में 230–230 पैक के चार पैकेट वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत श्री नवरतन साहू पुत्र बिरदा लाल साहू को रू0 128/–अक्षरे एक सौ अठ्ठाईस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **शुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी (लन्दन बोन–बोन ब्राण्ड)** के 4 पैकेट प्रत्येक 230–230 ग्राम पैक को एक–एक पैकेट के बराबर चार भाग तैयार कर प्रत्येक लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ. कोड एवं कमांक I–3658 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये। चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3658 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में पुनः सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री नवरतन मल साहू पुत्र श्री बिरदालाल साहू ने मौके पर बतौर वारन्टी कोई बिल प्रस्तुत नहीं किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./2023/700 दिनांक 19–7–.23 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/2411/एक्ट./2023/2423 दिनांक 23–6–2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **शुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी (लन्दन बोन–बोन ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 की धारा 3(i)(zf)(c)(।) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का **शुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी (लन्दन बोन–बोन ब्राण्ड)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 (सपठित धारा 49) में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से उनके पुत्र अरूण साहू उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अप्रार्थी जिस **शुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी (लन्दन बोन–बोन ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **शुगर बॉयल्ड कन्फैक्शनरी (लन्दन बोन–बोन ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री नवरतन मल साहू पुत्र श्री बिरदा लाल साहू निवासी कल्याणपुरा चोराहा बावडी तह0 टोडारायसिंह जिला –टोंक पर कुल शास्ती रूपये 15000/– (अक्षरे पन्द्रह हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 08.02.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर नियमानुसार शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0